राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
वाद संख्या–31/2024
आलोक कुमार बनाम् श्रीकृष्ण सिंह।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–02.07.2024, दिनांक–13.08.2024, दिनांक–12.09.2024 दिनांक–15.10.2024, दिनांक–21.11.2024 दिनांक–12.08.2025, दिनांक–25.09.2025, दिनांक–18.11.2025 एवं दिनांक–23.12.2025 को हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की तरफ से अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु श्री कुमार ब्रजेश, वरीय उप समाहर्त्ता , किशनगंज एवं अमरेन्द्र कुमार पंकज, अपर समाहर्त्ता, किशनगंज प्राधिकृत किये गये।

वादी के द्वारा समर्पित वाद–पत्र में यह दावा किया गया कि प्रतिवादी के विरूद्ध दो अपराधिक मुकदमें दर्ज थे, जिसकों उनके द्वारा अपने नामांकन–पत्र में छिपाया गया है तथा केवल एक अपराधिक मुकदमा का उल्लेख अपने नामांकन–पत्र में किया गया है। उनके द्वारा वाद–पत्र में उल्लेख किया गया है कि किशनगंज रेल थाना काण्ड संख्या–15/2014, दिनांक–22.05.2014 का उल्लेख उनके द्वारा नामांकन–पत्र में नहीं किया गया है। आगे उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि उनके द्वारा अपने नामांकन–पत्र में अपने पत्नी के नाम से अर्जित सम्पतियों का सही–सही उल्लेख नहीं किया गया है। अंत में उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी श्रीकृष्ण सिंह पेट्रोल पम्प के मालिक है, उनके द्वारा उल्लेख नामांकन–पत्र में नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन अपने लिखित जवाब में किया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि रेल थाना काण्ड संख्या–15/2014, दिनांक–22.05.2014 में उनके मुवक्किल के विरूद्ध सक्षम न्यायालय(Court of Railway Judicial Magistrate, Katihar) द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा संज्ञान आदेश की छायाप्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसकी सत्यापित प्रति जिला प्रशासन के तरफ से उपलब्ध करायी गयी।

आगे उनके अपने जवाब में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा अपने पत्नी के नाम से अर्जित की गयी, किसी भी सम्पति को छिपाया नहीं गया है, बल्कि वादी द्वारा ऐसी सम्पतियों को भी उनकी सम्पति बतायी जा रही है, जो उनके द्वारा पूर्व में ही बेच दिया गया था। आगे उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि पेट्रोल पम्प में भूमि के अलावा अन्य ज़ो भी संरचना मशीनरी आदि होती है, वह संबंधित कम्पनी की होती है। इस मामले में पेट्रोल पम्प HPCL Company का है। अतः सारे उपस्कर/मशीन का मालिकाना हक HPCL Company के पास है। पेट्रोल पम्प में उपयोग में लायी गयी भूमि का उल्लेख उनके सम्पति में शामिल है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, किशनगंज की तरफ से उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदन पत्रांक–1774/जि0निर्वा0, दिनांक–09.09.2024 तथा

पत्रांक–2243/जि0निर्वा0, दिनांक–27.12.2024 प्रतिवेदनों से यह प्रमाणित हुआ कि वादी का दावा सही नहीं है। **रेल थाना काण्ड संख्या–15/2014, दिनांक–22.05.2014 के संज्ञान आदेश में प्रतिवादी का नाम सम्मिलित नहीं है। साथ ही साथ वादी के द्वारा सम्पति संबंधी जो दावें किये गये है, वह केवल वक्तव्यों पर आधारित है। उनके द्वारा इसका कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया है, इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में उपलब्ध कराये गये, पेट्रोल पम्प के अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों से यह सिद्ध करने में सफल है कि उनके द्वारा सम्पति के संबंध में मिथ्या शपथ–पत्र नहीं दिया गया है।**

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी का दावा/अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है, अतः उनके सभी दावों/अनुरोधों को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
08.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
08.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–31/2024 1463 पटना, दिनांक–8.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **किशनगंज**/वरीय उप समाहर्त्ता, **किशनगंज** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वरीय उप समाहर्त्ता,**किशनगंज** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

08/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी